न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास प्रियंका गोस्वामी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्या: 91/2017/अपील/एल.आर.एक्ट/कोटा
दायरा दिनांक: 2.8.2017
अन्तर्गत धारा: 76 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

1 विष्णुबाई पुत्र मूलचंद जाति ब्राहमण निवासी ग्राम डोबडी तहसील सांगोद पत्नी रामचरण ब्राहमण नि0 मकान नं0 14 महावीरनगर प्रथम तहसील लाडपुरा।
2 ललताबाई पुत्री मूलचंद जाति ब्राहमण नि0 ग्राम डोबडी तहसील सांगोद पत्नी ओमप्रकाश शर्मा हाल नि0 चौमुखा बाजार शाहबाद वार्ड बांरा।
3 लीलाबाई पुत्री मूलचंद जाति ब्राहमण निवासी ग्राम डोबडी तह0 सांगोद पत्नी हेमराज शर्मा हाल निवासी चौमुखा बाजार शाहबाद वार्ड बांरा।

.....अपीलांट्स

बनाम

1 हरिश शर्मा पुत्र शिवराज शर्मा जाति ब्राहमण निवासी 1346–ए आर0के0पुरम सेक्टर–ए, रामलीला पार्क तहसील लाडपुरा जिला कोटा (राज0)।
2 मूलचंद पुत्र स्व0 रामचन्द्र जाति ब्राहमण नि0 ग्राम डोबडी तहसील सांगोद जिला कोटा (राज0)।
3 सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सांगोद जिला कोटा (राज0)।

...रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित: :श्री रामप्रसाद नागर अभिभाषक अपीलार्थी
श्री जितेन्द्र चौरसिया अभिभाषक रेस्पो0 कम–1 व 2

:::निर्णय:::

दिनांक 8.3.2018

अपीलार्थी ने न्यायालय अति0 जिला कलक्टर कोटा (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं0 41/2015 (अपील) बउनवान विष्णुबाई वगेरा बनाम हरिश शर्मा आदि मे पारित निर्णय दिनांक 30.11.2016 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से व्यथित होकर द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 अन्तर्गत न्यायालय हाजा मे पेश की गई।

1 संक्षेप मे अपील के तथ्य इस प्रकार है, कि अपीलांट द्वारा ग्राम डोबडी तहसील सांगोद की आराजी ख0 नं0 42 रकबा 2.30 है0, ख0 नं0 43 रकबा 0.15 है0, ख0 नं062 रकबा 0.19 है0, ख0 नं0 152 रकबा 0.10 है0 का दानपत्र के आधार पर रेस्पो0 कम–1 के पक्ष मे तहसीलदार सांगोद द्वारा तस्दीक किये गये नामा0 सं0 105 दिनांक 3.7.2015 से अप्रसन्न होकर अधीनस्थ न्यायालय मे अपील पेश कर निवेदन किया कि नामान्तरकरण प्रकरण को 45 दिवस मे ग्राम पंचायत के समक्ष नही रखकर अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही तहसीलदार सांगोद द्वारा केवल ''नामान्तरकरण स्वीकार'' शब्द लिख कर इन्तकाल

आदेश पारित कर दिया जो राज0 लेण्ड रेकार्ड रूल्स 119 से 121 के विपरीत आरआरडी 1961 पृष्ठ 162 के निर्णय मुताबिक पूर्णतया नॉन स्पीकिंग तथा पूर्णतया अस्पष्ट होने से निरस्त होने योग्य है। तथाकथित दानपत्र मे वर्णित कृषि भूमि के कब्जे के संबध मे कोई जांच नही की गई। विवादित भूमि के संबध मे न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांगोद के न्यायालय मे राजस्व वाद विचाराधीन होकर वादग्रस्त भूमि की यथास्थिति कायम रखे जाने का स्थगन आदेश पारित है ऐसी सूरत मे वादग्रस्त भूमि के संबध मे सक्षम राजस्व न्यायालय मे घोषणा, विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद दायर हो जाने पर उक्त वाद के निर्णय तक नामान्तरकरण संबधी फिसकल इन्क्वाइरी को स्थगित रखा जाना न्यायसंगत है। अतः इंतकाल निरस्त किया जाकर इंतकाल कार्यवाही स्थगित की जावे अथवा प्रकरण ग्राम पंचायत को रिमांड किया जावे। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने निर्णय दिनांक 30.11.2016 से अपीलांट्स की अपील को खारिज कर दिया जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स द्वारा द्वितीय अपील न्यायालय हाजा मे इस आशय की पेश की गई कि तहसीलदार सांगोद द्वारा पारित नामा0 आदेश कानूनन क्षेत्राधिकार से परे तथा राज0 लेण्ड रेवेन्यू रिकार्डस् रूल्स 119 से 121 के विपरीत तथा आरआरडी 1961 पेज 162 के निर्णय मुताबिक पूर्णतः नॉन स्पीकिंग एवं विधि विरूद्ध होने से निरस्त होने योग्य है। सक्षम राजस्व एवं दिवानी न्यायालयो मे विचाराधीन दावो के अन्तिम निर्णय होने पर्यन्त तक कानूनन उक्त नामान्तरकरण की कार्यवाही को स्थगित रखा जाकर राजस्व रिकार्ड मे भूमि के विवादित होने का नोट अंकित किया जाना न्यायसंगत है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस व कानूनी उद्धरण तथा अपील मैमो मे दर्ज कानूनी आपत्तियो पर कोई गोर नही किया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर हरदो निर्णय अधीनस्थ न्यायालय निरस्त किया जावे तथा वादग्रस्त भूमियो के संबध मे सक्षम दीवानी एवं राजस्व न्यायालयों मे विचाराधीन नियमित वादो के अन्तिम निर्णय पर्यन्त तक नामान्तरकरण सं0 105 को निरस्त कर राजस्व रिकार्ड मे वादग्रस्त भूमि की विवादास्पद स्थिति कायम रखे जाने का नोट अंकित किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील मे वर्णित तथ्यो को दोहराया तथा कथन किया कि विवादित आराजी पैतृक होने से अपीलांट का कानूनन जन्म से ही हक व अधिकार निहित है। रेस्पो0 क्रम–2 द्वारा रेस्पो0 क्रम–1 हरिश शर्मा (पौत्र) के पक्ष मे दिनांक 25.2.2015 को निष्पादित रजिस्टर्ड दानपत्र से भूमि हस्तान्तरित कर अपीलांट को अपने हक अधिकारो से वंचित किया गया जिसका नामान्तरकरण तहसीलदार सांगोद द्वारा स्वीकार कर कानूनी त्रुटि की है। तहसीलदार सांगोद द्वारा पारित उक्त नामा0 आदेश कानूनन क्षेत्राधिकार से परे तथा राज0 लेण्ड रेवेन्यू रिकार्डस् रूल्स 119 से 121 के विपरीत तथा आरआरडी 1961 पेज 162 के निर्णय मुताबिक पूर्णतः नॉन स्पीकिंग एवं विधि विरूद्ध है क्योंकि उक्त नामा0 34 दिन के अन्दर तस्दीक किया गया जबकि 45 दिन तक इन्तकाल तस्दीक करने की शक्तियां संबधित ग्राम पंचायत मे निहित है। कानूनन सक्षम राजस्व एवं दिवानी न्यायालयो मे विचाराधीन दावो के अन्तिम निर्णय होने पर्यन्त तक नामान्तरकरण की कार्यवाही को स्थगित रखा जाकर राजस्व रिकार्ड मे भूमि के विवादित होने का नोट अंकित किया जाना न्यायसंगत था अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस व कानूनी उद्धरण तथा अपील मैमो मे दर्ज कानूनी आपत्तियो पर कोई गोर नही किया। अन्त मे अपने तर्क के समर्थन मे आरबीजे (24) 2017 पेज 334 का न्यायिक उद्धरण प्रस्तुत करते हुये अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जेरअपील हरदो निर्णय अधीनस्थ न्यायालय निरस्त किया जावे तथा वादग्रस्त भूमियो के संबध मे सक्षम दीवानी एवं राजस्व न्यायालयों मे विचाराधीन नियमित वादो के अन्तिम निर्णय पर्यन्त तक नामान्तरकरण को निरस्त कर राजस्व रिकार्ड मे वादग्रस्त भूमि की विवादास्पद स्थिति कायम रखे जाने का नोट अंकित किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

4 विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 क्रम 1व 2 ने अपनी बहस मे अपीलांट के तर्क को अस्वीकार करते हुये कथन किया कि तहसीलदार सांगोद द्वारा रजिस्टर्ड दानपत्र के आधार पर नामान्तरकरण आदेश पारित किया है

जिसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि की जाना प्रकट नही होता है क्योंकि रजिस्टर्ड दानपत्र वर्तमान मे प्रभावी है तथा किसी भी न्यायालय द्वारा खारिज नही किया गया है ऐसी अवस्था मे रजिस्टर्ड दानपत्र के अनुसार सरसरी कार्यवाही बतौर परीक्षण न्यायालय द्वारा प्रावधानो के अनुसार ही स्वीकृत नामान्तरकरण को बिना किसी आधार भूत त्रुटिपूर्ण कारण के चुनौती नही दी जा सकती। जहां तक पक्षकारो के मध्य उनके अधिकारो का प्रश्न है तो वह सक्षम न्यायालय से विधिवत रूप से वाद के माध्यम से निर्णायक होगे। अतः अपील खारिज की जावे।

5 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार की बहस पर मनन किया तथा प्रकरण मे विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण आरबीजे (24) 2017 पेज 334 पर गौर किया। परीक्षण न्यायालय तहसीलदार सांगोद द्वारा नामान्तरकरण संख्या 105 वाकै ग्राम डोबडी रजिस्टर्ड दानपत्र के आधार पर स्वीकार किया गया है जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि किया जाना प्रकट नही होता है। अपीलांट द्वारा ऐसा कोई आधार अभिलेख प्रथम अपीलीय न्यायालय एवं प्रश्नगत अपील प्रकरण मे पेश नही किया है जिससे नामान्तरकरण स्वीकार करने मे तहसीलदार सांगोद द्वारा त्रुटि किया जाना प्रकट होता हो। ऐसी अवस्था मे हमारे मतानुसार रजिस्टर्ड दानपत्र के अनुसार सरसरी कार्यवाही बतौर परीक्षण न्यायालय द्वारा प्रावधानो के अनुसार स्वीकृत नामान्तरकरण को बिना किसी विधिसम्मत कारण के निरस्त किया जाना न्यायोचित नही है। जहां तक पक्षकारो के मध्य उनके हक व अधिकारो का प्रश्न है तो वह सक्षम न्यायालय से विधिवत रूप से वाद के माध्यम से निर्णायक होगे। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने प्रकरण का समुचित रूप से परीक्षण कर जेरअपील निर्णय दिनांक 30.11.2016 पारित किया है जो न्यायोचित होने से किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुजाइश नही है। लिहाजा उक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट खारिज योग्य है।

6 परिणाम स्वरूप उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलक्टर कोटा द्वारा प्रकरण सं0 41/2015 (अपील) बउनवान विष्णुबाई वगेरा बनाम हरीश शर्मा आदि मे पारित निर्णय दिनांक 30.11.2016 यथावत रखा जाता है।

7 निर्णय आज दिनांक 8.3.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(प्रियंका गोस्वामी)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा